	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 25, सोमवार, शाके 1943-फरवरी 14, 2022 *Magha 25, Monday , Saka 1943- February 14, 2022*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त् शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 30, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/21/3185:-विभागीय अधिसूचना क्रंमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त्ा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	अलवर	कोटकासिम	ग्रांम पंचायत कोटकासिम के ग्रांम कोटकासिम (जनंसख्या -8,538) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2021-22 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत कोटकासिम की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पाि◌लका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव।

3740

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।